<u>अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 163(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1810563)</u>

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ : *07/05/2024***

विषय:-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवरणों के ऑनलाइन रख - रखाव तथा मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाने हेतु मानव सम्पदा पोर्टल विकसित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश संख्या- 63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह ‘क’ एवं ‘ख’ श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक जेनरेट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदक्रम में कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-63(1)/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 05.04.2024 द्वारा अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया हैं।

2- विभागों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किये जाने में आ रही कतिपय समस्याओं से अवगत कराया गया हैं। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मानव सम्पदा पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) ऑनलाइन दाखिल किये जाने में परिलक्षित हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. एक से अधिक प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारियों द्वारा कार्य देखे जाने की स्थिति में कार्मिक द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षक द्वारा कार्य देखे जाने की अवधि के अनुसार पृथक-पृथक स्वमूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी द्वारा काम 03 माह से कम देखा गया है ऐसी स्थिति में 03 माह से कम काम देखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को ब्लॉक/बाईपास करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या आफिस एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से सीधे समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
2. जहॉं पर त्रिस्तरीय मूल्यांकन के स्थान पर द्विस्तरीय मूल्यांकन की व्यवस्था है, उस विभाग/कार्यालय में विभाग की संरचनानुसार प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी को बाईपास/ब्लॉक करते हुए वार्षिक प्रविष्टि के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
3. प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी की भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने या ऐसी स्थिति, जिसमें उनका ***eHRMS code*** अक्रियाशील हो, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) उक्त अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाना संभंव नहीं है, उस स्थिति में माड्यूल में यह व्यवस्था की जायेगी की प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी को होल्ड पर रखते हुए स्वमूल्यांकन आख्या/ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आफिस एडमिनिस्ट्रेटर की आई०डी० पर जायेगी उनके द्वारा भौतिक रूप से संबंधित अधिकारी का मन्तव्य प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड कर ऑनलाइन मोड से अगले स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
4. प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी के सेवानिवृत होने के स्थिति में उक्त अधिकारी का ***eHRMS code*** अक्रियाशील होने के कारण स्वमूल्यांकन आख्या/ वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आफिस एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से अगले स्तर पर भेजी जायेगी। स्वीकर्ता अधिकारी की सेवानिवृति की स्थिति में उनके निचले स्तर- प्रतिवेदक/समीक्षक (जैसी स्थिति हो) पर किये गये मूल्यांकन को अंतिम माना जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. महानिदेशक, उपाम, अलीगंज, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मानव सम्पदा पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए०सी०आर०) माड्यूल में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक संशोधन कराते हुए शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
13. श्री ए०के० रावत, तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० (मानव सम्पदा पोर्टल)।
14. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, निक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ला)
विशेष सचिव